

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के गठन/पुनर्गठन हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

जिला- कुशीनगर
विकास क्षेत्र- फाजिलनगर
ग्राम पंचायत- विशुनपुर राजा
समिति का प्रकार (एकल/बहुल)- राजा

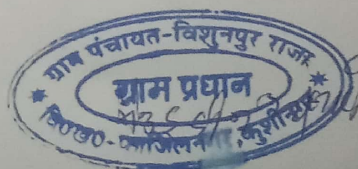
आज दिनांक 14-12-2023 को ग्राम पंचायत विशुनपुर राजा के गांव विशुनपुर राजा में एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गए-

1. आज की बैठक में ग्राम पंचायत विशुनपुर राजा से सम्बन्धित एकल/बहुल ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया एवं निम्नलिखित सदस्यों को समिति सदस्य के रूप में चयनित किया गया।

क्र.सं.	नाम	मोबाइल नम्बर	(महिला/SC/ST)	आयु	पद	हस्ताक्षर
1	मैत्रेयवी शर्मा	8299240212	03C	40	अध्यक्ष	मैत्रेयवी शर्मा
2	रामकृष्ण तिवारी	8400912452	4	35	सचिव	रामकृष्ण तिवारी
3	मैरना नैशा	9919539919	03C	35	सदस्य	मैरना नैशा
4	रीके विद्या	9554792422	03C	45	सदस्य	रीके विद्या
5	सावित्री देवी	7800497638	03C	38	सदस्य	सावित्री देवी
6	संतोष कुशवाहा	8421910610	03C	30	सदस्य	संतोष
7	रिजवान	8059784651	03C	25	सदस्य	रिजवान
8	इरफान	8795425590	03C	24	सदस्य	इरफान
9	नुरकिलम अंसारी	9161913334	03C	30	सदस्य	नुरकिलम अंसारी
10	Saddam Ansari	9161910091	4	28	सदस्य	Saddam Ansari
11	अनवर	8805548365	4	27	सदस्य	अनवर
12	शीम गुप्ता	9648432945	4	20	सदस्य	शीम गुप्ता
13	साहेब	8052097178	4	23	सदस्य	साहेब
14	जमीर	7042189498	4	20	सदस्य	
15	रमेश्वर कुशवाहा	9565020834	4	45	सदस्य	रमेश्वर कुशवाहा
16	अब्बास	9628629314	4	50	सदस्य	अब्बास अंसारी
17	पुष्पक पांडेय	6393325695	4	30	सदस्य	पुष्पक पांडेय



ग्राम पंचायत अधिकारी



उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निर्वाहन किया जायेगा।

1. हर मौजूदा ग्रामीण परिवार और भविष्य में अस्तित्व में आने वाले किसी नए परिवार को समुदाय/ग्रामीण प्रदान कराना और यह सुनिश्चित करना कि मुखा वसतिगो से पूरा स्थित किर-पुट घरी को भी समुदाय/ग्रामीण प्रदान हो।
2. जल आपूर्ति योजना के लिए ग्राम कार्य योजना (ग्रामपंचायत) की तैयारी सुनिश्चित करना।
3. गाँव की भीतर जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाना, इनकी काररेखा बनाना, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव करना और भीसकी आपूर्ति का समय तय करना।
4. कोन्दीकृत वस्तु दर भविष्यदा प्रक्रिया के माध्यम से एसोडक्यूएसएमओ द्वारा यथा- निर्धारित एजीसिटी / विकेलाओं से निर्माण सेवाओं / वस्तुओं / सामग्री का प्रापण करना।
5. अतः ग्राम अवसंरचना निर्माण की पूंजीगत लागत में यथा-स्थिति 6 प्रतिशत या 10 प्रतिशत अंशदान करने के लिए और एकजुट होने के लिए समुदाय को प्रेरित करना। यह अंशदान नकद और / या वस्तु और / या श्रम के रूप में हो सकता है।
6. स्त्रोत स्थापित, मंदले जल के पुन उपयोग, जल संरक्षण उपायों, आदि सहित अंतः ग्राम अवसंरचना के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
7. सामुदायिक अंशदान के लिए और प्रचालन एवं रख-रखाव सेवा शुल्क जमा करने के लिए बैंक खाता खोलना / ग्राम पंचायत के मौजूदा खाते का उपयोग करना। यदि किसी मौजूदा खाते का उपयोग किया जा रहा हो, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंशदान और प्रोत्साहन राशि के लिए एक अलग बही-खाता बनाया जाए।
8. उन खातों के लिए रजिस्टर बनाएं और उसका रख-रखाव करें, जो नकदी और / या वस्तु और / या श्रम के संदर्भ में सामुदायिक योगदान, निर्माण की लागत, प्रचालन एवं रख-रखाव लागत / जल शुल्क संग्रह और प्राप्त प्रोत्साहन राशि को दर्शाते हों।
9. पीओएसओ गतिविधियों के लिए समुदाय को एकजुट करना।
10. जल शुल्क / प्रयोक्ता शुल्क निश्चित करना और एकत्र करना।
11. स्थानीय जल स्त्रोतों सहित अतः ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन और नियमित प्रचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी लेना।
12. ग्राम पंचायत / ग्राम परिसंपत्ति रजिस्टर में पेयजल परिसंपत्ति विवरण दर्ज करना।
13. योजना के पूरा होने पर उसका प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल सुगम बनाना।
14. अन्य पक्ष द्वारा निरीक्षण और कार्यशीलता मूल्यांकन सुगम बनाना।
15. एक वर्ष में कम से कम चार बार आवधिक बैठकें आयोजित करना और उनका कार्यवृत्त / रिकॉर्ड रखना।
16. फील्ड जीव किट (फील्ड परीक्षण किट) का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करना, प्रयोगशालाओं में समय-समय पर परीक्षण कराना और समुदाय के बीच इसका प्रचार-प्रसार करना और सफाई निरीक्षण करवाना। इन गतिविधियों को करने के लिए ग्रामीण युवाओं / छात्रों / महिलाओं को नियोजित / प्रशिक्षित करना।
17. राज्य की नीति के अनुसार, फील्ड परीक्षण किट का उपयोग करके जल की गुणवत्ता का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित व्यक्ति को नियुक्ति किया जा सकता है।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

हस्ताक्षर एवं मुद्रा विकास अधिकारी
सचिव

हस्ताक्षर एवं मोहर
ग्राम प्रधान

आईओएसओ का नाम-
आईओएसओ कार्मिक का नाम व मोबाइल नम्बर-

